संख्या-44/इक्कीस-प्रको0-2019-09/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्रकाशन,
उत्तर प्रदेश शासन ।

भाषा (प्रकाशन) अनुभाग **लखनऊ,दिनांकः 11 अप्रैल, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अनुदान संख्या-39 के लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-105-सरकारी प्रकाशन-03-विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/प्रकाशन हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, महत्वपूर्ण आदेशों के संकलनों एवं अन्य संदर्भ ग्रन्थों के प्रकाशन एवं उक्त कार्य हेतु कार्यरत प्रकाशन कोष्ठक के कार्मिकों के लिए श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित धनराशियों की, जिनका कि कुल योग रुपये 51.80 लाख (रु0 इक्यावन लाख अस्सी हजार मात्र) है, के व्यय की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

लेखा शीर्षक/मद	धनराशि (लाख रुपये में)
01- वेतन	28.00
03- महंगाई भत्ता	4.20
04- यात्रा व्यय	0.05
06- अन्य भत्ते	2.00
07- मानदेय	0.10
08- कार्यालय व्यय	0.25
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.15
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
18- प्रकाशन	10.00
42- अन्य व्यय	0.30
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.15

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.25
49- चिकित्सा व्यय	0.12
51- वर्दी व्यय	0.03
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.40
55- मकान किराया भत्ता	1.40
56- नगर प्रतिकार भत्ता	0.40
योग	51.80 (रु0 इक्यावन लाख अस्सी हजार मात्र)

2- उपर्युक्त धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित मदों पर व्यय किया जायेगा तथा इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-39 के लेखा शीर्षक 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण-105-सरकारी प्रकाशन-03 विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों आदि का संकलन/प्रकाशन के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

3- उपर्युक्त धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहरित की जायेगी ।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-44(1)/इक्कीस-प्रको0/2019-09/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा प्रथम रिपोर्ट ब्रांच, इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
5- भाषा (लेखा) अनुभाग ।
6- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4 ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)
अनुसचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in